रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1517] नई दिल्ली, बुधवार, मई 8, 2019/वैशाख 18, 1941
No. 1517] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 8, 2019/VAISAKHA 18, 1941

## वित्त मंत्रालय

**(राजस्व विभाग)**

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मई, 2019

**का.आ. 1706(अ).**—जबकि आयकर नियम, 1962 के नियम 11छ के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने, दिनांक 2 जनवरी, 1992 के भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 2 जनवरी, 1992 की अधिसूचना सं. का.आ. 5(अ), यथासंशोधित दिनांक 22 दिसंबर, 1994 की अधिसूचना सं. का.आ. 926(अ); दिनांक 23 दिसंबर, 1997 की अधिसूचना सं. का.आ. 892(अ); दिनांक 21 मई, 2001 की अधिसूचना सं. का.आ. 444(अ); दिनांक 9 नवंबर, 2004, की अधिसूचना सं. का.आ. 1258(अ); दिनांक 1 फरवरी, 2008 की अधिसूचना सं. 227(अ); दिनांक 1 फरवरी, 2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 218 (अ); दिनांक 4 मार्च, 2014 की अधिसूचना सं का.आ. 654(अ) और दिनांक 31 मार्च, 2017 की अधिसूचना सं. का.आ. 1021(अ) द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण उन्नयन समिति का गठन किया था।

और जबकि आयकर नियम, 1962 के नियम 11छ के उप नियम (1) के अनुसार, पूर्वोक्त अधिसूचना के तहत सरकार द्वारा चौदह व्यक्तियों को उक्त समिति का बतौर अध्यक्ष और सदस्य नियुक्त किया गया था;

और जबकि पूर्वोक्त समिति के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 30 मार्च, 2018 को समाप्त हो गया था और जबकि, पूर्वोक्त समिति के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल, दिनांक 17 अप्रैल, 2018 की अधिसूचना सं. का.आ. 1658(अ) द्वारा, छह माह की अवधि अर्थात् 30 सितंबर, 2018 तक आगे बढ़ाया गया था। और जबकि पूर्वोक्त्त समिति के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल दिनांक 5 अक्तूबर, 2018 की अधिसूचना सं. का.आ. 5160(अ) द्वारा छह माह की अवधि अर्थात 31 मार्च, 2019 तक आगे बढ़ा गया था।

इसलिए अब, आयकर नियम, 1962 के नियम 11छ के उप-नियम (1) और (2) के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35कग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक और आर्थिक कल्याण उन्नयन

समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के रूप में निम्नलिखित व्यक्तियों का कार्यकाल 1 अप्रैल, 2019 से छह माह की अवधि अर्थात् 30 सितंबर, 2019 तक के लिए आगे बढ़ाया जाता है :

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | न्यायमूर्ति आर.सी. लाहोटी | भारत के पूर्व मख्य न्यायाधीश | अध्यक्ष |
| 2 | श्री अमरदीप सिंह चीमा | उपाध्यक्ष, नेहरू युवा केन्द्र संगठन और सामाजिक कार्यकर्ता | सदस्य |
| 3 | डॉ. अमिया कुमार शर्मा | कार्यकारी निदेशक, राष्ट्रीय विकास निधि, गुवाहाटी | सदस्य |
| 4 | श्री बलदेव चौधरी | पूर्व अध्यक्ष, यूपी कांग्रेस समिति अनुसूचित जाति/जनजाति प्रकोष्ठ | सदस्य |
| 5 | श्रीमती चेतना सिन्हा | सूक्ष्म वित्त एवं महिला उद्यमिता, संस्थापक एवं अध्यक्ष, मान देशी बैंक | सदस्य |
| 6. | श्री डी.आर. मेहता | पद्म भूषण और सेवानिवृत्त प्रशासनिक सेवक, संस्थापक एवं मुख्य संरक्षक, भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति (बीएमवीएसएस), जयपुर | सदस्य |
| 7 | श्री एनरिको पिपरनो | पूर्व टेनिस खिलाड़ी व कोच | सदस्य |
| 8 | श्री हबीब ए. फकीह | स्थानीय स्वायत्तशासन एवं लोक प्रशासन में विशेषज्ञ, उपाध्यक्ष द फेडरेशन ऑफ लिंग्विस्ट एंड रिलीजस माइनोरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, महाराष्ट्र | सदस्य |
| 9 | प्रो. नालादी सामुयेलू | अवकाश प्राप्त प्रोफेसर, समाजशास्त्र व सामाजिक कार्य विभाग, आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय, गुंटुर | सदस्य |
| 10 | डॉ. नरेश गुप्ता | निदेशक, प्रोफेसर, मोलाना आजाद मेडिकल कॉलेज | सदस्य |
| | | एवं संबद्ध अस्पताल, नई दिल्ली | सदस्य |
| 11 | श्री संजीव कुमार अरोड़ा | चार्टर्ड अकाउंटेंट | सदस्य |
| 12 | श्रीमती शमीमा रैना | सामाजिक कार्यकर्ता | सदस्य |
| 13 | श्रीमती शशिकला वामनन | शिक्षाविद | सदस्य |
| 14 | श्री विनायक लोहानी | सामाजिक उद्यमी एवं परिवार के संस्थापक | सदस्य |

[सं. 1/2019/फा. सं. वी. 27013/3/2018-एसओ(रा.समि.)]

रश्मि रंजन दास, संयुक्त सचिव(एफटी एवं टीआर-I) और सचिव (राष्ट्रीय समिति)

**MINISTRY OF FINANCE**

**(Department of Revenue)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th May, 2019

**S.O. 1706 (E).—**Whereas in exercise of the powers conferred by section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) read with rule 11G of the Income Tax Rules, 1962, the Central Government constituted the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare vide notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 5(E) dated the 2nd January, 1992 published in the Gazette of India Extraordinary Part II Section 3, Sub-Section (ii) as amended by notification numbers S.O. 926(E) dated the 22nd December, 1994, notification number S.O. 892(E) dated the 23rd December, 1997; notification number S.O. 444(E) dated the 21st May, 2001; notification number S.O. 1258(E) dated the 9th November, 2004; notification number 227(E) dated 1st February, 2008; notification number S.O. 218(E) dated the 1st February, 2011; notification number S.O. 654(E) dated the 4th March, 2014 and notification number S.O. 1021(E) dated the 31st March, 2017.

And whereas, in terms of sub-rule (1) of Rule 11G of the Income Tax Rules, 1962, by the aforesaid notification, fourteen persons were appointed by the Central Government as Chairman and members of the said Committee;

And whereas, the term of the Chairman and members of the aforesaid Committee ended on 30th March, 2018. And whereas, the term of the Chairman and members of the aforesaid Committee was extended for a further period of six months i.e. upto 30th September, 2018 vide notification number S.O. 1658(E) dated the 17th April, 2018. And whereas, the term of the Chairman and members of the aforesaid Committee was further extended for a further period of six months i.e. upto 31st March, 2019 vide notification number S.O. 5160(E) dated the 5th October, 2019.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 35AC of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) read with sub-rule (1) and (3) of rule 11G of the Income Tax Rules, 1962, the Central Government hereby extend the tenure of following persons as Chairman and members of the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare for a further period of six months w.e.f. 1st April, 2019 i.e. till 30th September, 2019.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Justice R.C. Lahoti | Former Chief Justice of India | Chairman |
| 2 | Shri Amardeep Singh Cheema | Vice Chairman, Nehru Yuva Kendra Sangathan and Social activist | Member |
| 3 | Dr. Amiya Kumar Sharma | Executive Director, Rahstriya Gramin Vikas Nidhi, Guwahati | Member |
| 4 | Shri Baldev Chowdhary | Ex-Chairman, UP Congress Committee SC/ST Cell | Member |
| 5 | Smt. Chetna Sinha | Micro Finance and Women Entrepreneurship, Founder & Chairperson, Mann Deshi Bank | Member |
| 6 | Shri D.R. Mehta | Padam Bhushan and Retired Civil Servant, Founder & Chief Patron, Bhagwan Mahaveer Viklang Sahayta Samiti (BMVSS), Jaipur. | Member |
| 7 | Shri Enrico Piperno | Former Tennis Player and coach | Member |
| 8 | Shri Habib A. Fakih | Specialist in local self government and Public Administration, Vice President, The Federation of Linguistic & Religious Minorities Education Institution, Maharashtra | Member |
| 9 | Prof. Naladi Samuyelu | Emeritus Professor, Deptt. of Sociology & Social Work, Acharya Nagarjuna University, Guntur | Member |
| 10 | Dr. Naresh Gupta | Director, Professor, Maulana Azad Medical College and Associated hospitals, New Delhi | Member |
| 11 | Shri Sanjiv Kumar Arora | Chartered Accountant | Member |
| 12 | Smt. Shameema Raina | Social worker | Member |
| 13 | Smt. Shashikala Vamanan | Educationist | Member |
| 14 | Shri Vinayak Lohani | Social Entrepreneur and founder of Parivar | Member |

[No. 1/2019/F. No. V. 27013/3/2018-SO(NAT.COM)]

RASMI RANJAN DAS, Jt. Secy. (FT&TR-I) & Secy. (National Committee)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.05.08 19:09:27 +05'30'